रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234754
CG-DL-E-01042022-234754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
No. 1490] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1551(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2021 की अधिसूचना का.आ.4046(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1551(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.4046(E) dated 01.10.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from 01.04.2022 to 30.09.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.01 01:22:19 +05'30'